कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी.– 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 90/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 07.03.2026

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 07.03.2026 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्न कार्यवाहियां की गयी।

थाना– बरदह, जनपद आजमगढ़

खेत से किर्लोस्कर पम्प चोरी की घटना का सफल अनावरण, दो अभियुक्त गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 06.03.2026 को वादी मजनू सरोज पुत्र धिरजु सरोज निवासी ग्राम भीरा, थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना बरदह पर सूचना दी गई कि दिनांक 05.03.2026 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके खेत में लगा 05 हार्स पावर का किर्लोस्कर इंजन (पम्पसेट) चोरी कर लिया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बरदह पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण / घटना का अनावरण–

दिनांक 07.03.2026 को उ0नि0 रितेश खरवार मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर त्रिवेणी मोड़ से अभियुक्तगण— 01. पवन पुत्र नरसू सरोज, 02. किशन सरोज पुत्र राजाराम समस्त निवासीगण ग्राम भीरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़ को समय 04:10 बजे गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पवन की जामा तलाशी लेने पर उसके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ। पूछताछ के दौरान अभियुक्तों द्वारा दिनांक 05.03.2026 को पम्पसेट चोरी की घटना कारित करना स्वीकार किया गया। अभियुक्तों की निशानदेही पर चोरी गया किर्लोस्कर पम्पिंग सेट बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 317(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई तथा अभियुक्त पवन पुत्र नरसू सरोज के विरुद्ध मु0अ0सं0 72/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण–

01. पवन पुत्र नरसू सरोज निवासी ग्राम भीरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़
02. किशन सरोज पुत्र राजाराम निवासी ग्राम भीरा थाना बरदह जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण–

01. एक अदद किलोस्कर पम्पिंग सेट (चोरी का) सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2), 317(1) बीएनएस (अभियुक्तगण पवन व किशन की निशानदेही पर बरामद)।
02. एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर सम्बन्धित मु0अ0सं0 72/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट (अभियुक्त पवन के कब्जे से बरामद)।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2), 317(1) बीएनएस थाना बरदह,जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह,जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास–

पवन पुत्र नरसू सरोज-

01. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2), 317(1) बीएनएस थाना बरदह,जनपद आजमगढ़।
02. मु0अ0सं0 72/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बरदह,जनपद आजमगढ़।

किशन सरोज पुत्र राजाराम-

01. मु0अ0सं0 71/2026 धारा 303(2), 317(1) बीएनएस थाना बरदह

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम–

01. उ0नि0 रितेश खरवार,थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
02. उ0नि0 अम्बुज कुमार राही,थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
03. हे0का0 संदीप सिंह,थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
04. हे0का0 मुकेश विश्वकर्मा,थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।
05. का0 सतिभान सिंह,थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ ।

प्रेस-विज्ञप्ति
थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के खाते में पुलिस की तत्परता से 20,000/- रुपये कराए गए वापस

घटना का संक्षिप्त विवरण–

आवेदक श्री देवेन्द्र कुमार पुत्र शिवचन्द राम निवासी ग्राम खोजापुर चकडीह, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा ऑनलाइन वीजा के लिए आवेदन किया गया था। इसी दौरान एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल प्राप्त हुआ, जिसमें कॉलर द्वारा स्वयं को वीजा उपलब्ध कराने वाला बताते हुए 1 से 2 माह के भीतर कनाडा का वीजा उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया। कॉलर के झांसे में आकर आवेदक द्वारा ऑनलाइन 20,000/- रुपये प्रेषित कर दिए गए। बाद में जब आवेदक को यह ज्ञात हुआ कि उसके साथ साइबर ठगी हो गई है, तो उसके द्वारा तत्काल साइबर शिकायत संख्या–23111250190258 दर्ज कराई गई, जो थाना सिधारी पर प्राप्त हुई।

शिकायत प्राप्त होने के बाद थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहायता प्राप्त करते हुए त्वरित कार्यवाही की गई। समुचित प्रयासों के फलस्वरूप पीड़ित देवेन्द्र कुमार के खाते में 20,000/- रुपये की धनराशि नियमानुसार वापस कराई गई।

पैसा वापसी का विवरणः-

पीड़ित को साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी **अज्ञात कॉलर को अपनी निजी जानकारी, बैंक विवरण या ओटीपी साझा न करें। यदि किसी प्रकार की साइबर ठगी होती है, तो इसकी शिकायत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर तत्काल दर्ज कराएं या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में स्थापित साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।**

पुलिस टीम का विवरण–

01. उ0नि0 विधनेश वर्मासाइबर टीम थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
02. उ0नि0 नीतीश सिंहसाइबर टीम थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
03. का0 महेश कुमारसाइबर टीम थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
04. का0 पवन गुप्तासाइबर टीम थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
05. म0आ0 रीना यादवसाइबर टीम थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना– अतरौलिया, जनपद आजमगढ़

हत्या के प्रयास के मुकदमे में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त लाठी बरामद

पूर्व की घटना/इतिहास –
दिनांक **04.03.2026** को आवेदिका **गुलशन पत्नी सालिम** निवासी **ग्राम सैखोना, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़** द्वारा थाना अतरौलिया पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि पारिवारिक विवाद को लेकर उनके पट्टीदार **1. फिरोज 2. अब्दुल रहीम पुत्रगण मो० नवी 3. मकतुला पत्नी मो० नवी 4. अंजुम पत्नी रईस 5. हिना पत्नी रईस** निवासीगण ग्राम सैखोना, थाना अतरौलिया, जनपद आजमगढ़ द्वारा एक राय होकर आवेदिका, उनकी सास **नूरजहाँ** तथा पति **सालिम** को गाली-गलौज करते हुए **लाठी-डंडा व धारदार हथियार से जान से मारने की नियत से मारपीट** की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना अतरौलिया पर **मु0अ0सं0 0082/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस** बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना **उ0नि0 जफर अयूब** द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण –
आज दिनांक **07.03.2026** को **उ0नि0 जफर अयूब** मय पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में देखभाल/तलाश वांछित अभियुक्त में ग्राम **सेनपुर** में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त **फिरोज पुत्र मो० नवी निवासी ग्राम सैखोना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़** को **ग्राम बसहिया के पास** से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त को उसके अपराध से अवगत कराते हुए नियमानुसार समय **13:05 बजे** मा0 न्यायालय/मानवाधिकार आयोग के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस हिरासत में लिया गया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **लाठी** को ग्राम **सैखोना** में घटनास्थल के पास स्थित **सरसों के खेत से बरामद** किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए **मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया।**

पंजीकृत अभियोग –

1. **मु0अ0सं0 0082/2026 धारा 115(2), 352, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़**

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. **फिरोज पुत्र मो० नवी** निवासी ग्राम सैखोना थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

बरामदगी –

1. **एक अदद लाठी/डंडा (घटना में प्रयुक्त)**

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 जफर अयूब थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 सन्त कुमार थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़
3. का0 धन्नू यादव थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़

प्रेस-विज्ञप्ति दिनांक-07.03.2026 जनपद आजमगढ़

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए **आजीवन कारावास व 10000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

थाना जहानागंज में पंजीकृत अपराध जिसमें हत्या के आरोप मे अभियुक्त को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- 03.10.2022 को वादी मुकदमा बसन्त राम पुत्र स्व0 विसर्जन राम निवासी धनार बाध थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ ने थाने पर लिखित तहरीर दी कि **अभियुक्त रतन उर्फ रजनीश पुत्र रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ के द्वारा अपनी पत्नी कविता को दहेज व बच्चा पैदा न होने को लेकर प्रताणित करना तथा फांसी लगाकर जान से मार दिया गया था।**

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना जहानागंज पर मु0अ0सं0- 398/2022 धारा-498A,304B,302,34 भादवि व 3/4 DP Act पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमे उपरोक्त मे 9 गवाहो को परीक्षित कराया गया।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 07.03.2026 को मा0 न्यायालय ADJ-1/Anti Corruption (Spl) कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त रतन उर्फ रजनीश पुत्र रमेश निवासी बड़हलगंज थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

प्रेस-विज्ञप्ति, दिनांक- 07.03.2026 जनपद आजमगढ़

"**ऑपरेशन कनविक्शन/मिशन शक्ति**" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 01 आरोपी अभियुक्त को मा0 न्यायालय द्वारा नाबालिग के लड़की को बहला-फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप में 07 **वर्ष के कठोर कारावास व मु0 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया।

थाना मुबाकरपुर में पंजीकृत अपराध जिसमें नाबालिग बहला फूसलाकर भगा ले जाने के आरोप मे 01 अभियुक्त को 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

➡ दिनांक- **22.11.2015** को वादी मुकदमा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दी थी कि **अभियुक्त संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर पुत्र साधू सोनकर निवासी किशुनपुर(काशीनाथ) काशीपुर, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़** द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलकर भगा ले गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध थाना मुबारकपुर पर मु0अ0सं0-292/2015 धारा-363,366,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 12 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक-07.03.2026 को मा0 न्यायालय विशेष पाक्सो कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित **अभियुक्त संतोष सोनकर उर्फ गोरख सोनकर पुत्र साधू सोनकर निवासी किशुनपुर(काशीनाथ) काशीपुर, थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए 07 वर्ष के कठोर कारावास व 15,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**